

कार्यालय: मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 237

/2022-23 दिनांक 21 जुलाई, 2022


विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017 कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2018 में निहित प्राविधानों तहत कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा जारी समय सारिणी के आधार पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाएं-2/1069-75/स्थानान्तरण/2022-23 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में मण्डल स्तर पर शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के नियम-17(1)(क) **(सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण)** में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम) को सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में उसी पद एवं वेतनक्रम में स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा माननीय न्यायालय में यदि कोई वाद योजित किया गया है, तो उक्त स्थानान्तरण आदेश माननीय न्यायालय में योजित सम्बन्धित रिट याचिका के अधीन रहेगा।

स0अ0एल0टी0-महिला शाखा

क्र0 सं0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम/पदनाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम/जनपद	अन्य विवरण
01	02	03	04	05	06
1.	भगवती पाण्डे स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0बा0इ0का0 हल्द्वानी, नैनीताल	रा0क0इ0का0 ताड़ीखेत अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
2.	श्रीमती हेमा पन्त स0अ0एल0टी0	सामान्य	आ0वि0गं0ग0 रा0बा0इ0का0 पिथौरागढ़	रा0क0उ0मा0वि0 बिचखाली रामगढ़ नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
3.	श्रीमती तृप्ति कपूर स0अ0एल0टी0	अंग्रेजी	रा0क0इ0का0 दिनेशपुर, उधमसिंहनगर	रा0क0इ0का0 बेतालघाट, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
4.	श्रीमती बीना शैल स0अ0एल0टी0	संगीत	रा0बा0इ0का0 भवानी, नैनीताल	रा0क0इ0का0 खेतीखान चम्पावत	रिक्त पद के प्रति
5.	श्रीमती हरविन्दर कौर स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0इ0का0 काशीपुर, उधमसिंहनगर	रा0क0उ0मा0वि0 भतरौंजखान, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
6.	श्रीमती अनिता सिंह स0अ0एल0टी0	हिन्दी	रा0क0उ0मा0 वि0 कासमपुर जसपुर, उधमसिंहनगर	रा0क0इ0का0 देवायल सल्ट, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
7.	श्रीमती सुनीता पाण्डे स0अ0एल0टी0	संस्कृत	रा0बा0इ0का0 धौलाखेड़ा, नैनीताल	रा0क0इ0का0 मूनाकोट, पिथौरागढ़	रिक्त पद के प्रति
8.	कमला रानी स0अ0एल0टी0	कला	रा0बा0इ0का0 चम्पावत	रा0क0इ0का0 जैती, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
9.	श्रीमती नम्रता रौतेला स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 राजपुरा, नैनीताल	रा0क0इ0का0 रामगढ़, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
10.	श्रीमती पुनीता पाण्डे स0अ0एल0टी0	विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 बमौरी, हल्द्वानी	रा0क0इ0का0 द्वाराहाट, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
11.	अंजु बाला स0अ0एल0टी0	हिंदी	रा0क0इ0का0 बनभूलपुरा नैनीताल	रा0क0उ0मा0वि0 चनौदा अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
12.	पूनमलता स0अ0एल0टी0	सामान्य	रा0क0उ0मा0वि0 बाबरखेड़ा जसपुर	रा0क0उ0मा0वि0 डुंगरा अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति





13.	श्रीमती जागृति सिंह स0अ0एल0टी0	गणित	रा0क0उ0मा0वि0 कासमपुर, उधमसिंहनगर	रा0क0उ0मा0वि0 पालीगुणादित्य, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति
14.	भावना अग्रवाल स0अ0एल0टी0	संगीत	रा0क0इ0का0 शक्तिफार्म, उधमसिंहनगर	रा0क0इ0का0 देवायल सल्ट, अल्मोड़ा	रिक्त पद के प्रति

- 02- वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरित शिक्षकों (स0अ0एल0टी0) के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-
- I- स्थानान्तरित शिक्षक (स0अ0एल0टी0) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यभार से अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (Journey Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
- II- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- III- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- IV- उक्त स्थानान्तरण ऐजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड किये गये विवरण के अनुसार तैयार की गयी वरिष्ठता सूची के आधार पर जारी किये गये हैं। यदि किसी अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में कोई सूचना भिन्न होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षक/संस्थाध्यक्ष की होगी।
- V- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(लीलाधर व्यास)
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

पृ0सं0/सेवाएं-3क(2)/अराज0/ 3290-102 /2022-23 दिनांक उक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
02- महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
03- निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
05- मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
06- वरिष्ठ कोषाधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07- वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
08- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
09- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुए सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका।
11- प्रभारी एम0आई0एस0 कार्यालय-महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12- कार्यालय आदेश पंजिका।

मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल